क्रम संख्या–116

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 02 अगस्त, 2016 ई0

श्रावण 11, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 239/XXXVI(3)/2016/44(1)/2016

देहरादून, 02 अगस्त, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2016'** पर दिनांक 28 जुलाई, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 16 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2016)

[भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश; 2007) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

संक्षिप्त नाम–

1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) विधेयक 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–02 1959 का सामान्य संशोधन

2.उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है में जहां–2 शब्द ''मुख्य नगर अधिकारी'', ''अपर मुख्य नगर अधिकारी'', ''उप नगर अधिकारी'', ''सहायक नगर अधिकारी'', ''नगर प्रमुख'', ''उप नगर प्रमुख'', ''सभासद'' और सभासदों आया हो, वहां क्रमशः शब्द ''नगर आयुक्त'', ''अपर नगर आयुक्त'', ''उप नगर आयुक्त'', ''सहायक नगर आयुक्त'', ''महापौर'', ''उप महापौर'', ''पार्षद'' और ''पार्षदों'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

धारा 174 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्न खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा;
अर्थात्

(क)''रेलवे स्टेशनों, कॉलेजों, स्कूलों, होटलों कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में, नियम द्वारा निश्चित की गयी यथा स्थिति, भवन के आच्छादित क्षेत्र या भूमि के खुले क्षेत्र या दोनों के साथ खण्ड (ख) के अधीन नियत आवासिक भवनों के प्रति वर्ग फुट किराये की मासिक दर में गुणांक से गुणा करने पर प्राप्त का 12 गुना मूल्य ''।
(ख) खण्ड (ख) में शब्द ''दो वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''चार वर्ष'' रख दिया जायेगा।

धारा 177 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 177 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्न खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्
अर्थात् –

177 (ख)''उन भवनों और भूमियों या उसके ऐसे भाग के, जो केवल सार्वजनिक उपासना के लिए प्रयुक्त हो।''

धारा 207 का प्रतिस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा 207 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् –

"207. **निर्धारण सूची का तैयार किया जाना**– नगर आयुक्त समय–समय पर नियमावली में विहित रीति से नगर या उसके किसी भाग का क्षेत्रवार किराया दर और निर्धारण सूची तैयार करायेगा"

धारा 207 (क) का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 207 (क) में "आवासिक" शब्द हटा दिया जायेगा।

धारा 207 (ख) का जोड़ा जाना

7. मूल अधिनियम की धारा 207(क) के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

207 (ख). कर निर्धारण के लिये भवनों या भूमियों का विवरण प्रस्तुत किया जाना–

(एक) वार्षिक किराये के मूल्य के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी ऐसे दिनांक तक जैसा विहित किया जाये एक सम्पत्ति विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(दो) कोई व्यक्ति जो बिना उचित कारणों के उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहा हो, वह ऐसी शास्ति जो विहित की जाये, भुगतान करने का दायी होगा।

(तीन)उपधारा (2) में निर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन नगर आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

धारा 208 का प्रतिस्थापन

8. मूल अधिनियम की धारा 208 के स्थान पर निम्न धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्–

"**208. सूची का प्रकाशन**–नगर आयुक्त धारा 207 के अधीन तैयार की गई सूची का नियमावली में विहित रीति के अनुसार प्रकाशन करेगा।"

धारा 209 का प्रतिस्थापन

9. मूल अधिनियम की धारा 209 के स्थान पर निम्न धारा रख दिया जायेगा–

"**209. सूची की प्रविष्टियों पर आपत्तियां**– नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी, नियमावली में विहित रीति के अनुसार आपत्तियों का निपटारा करेगा।"

धारा 210 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 210 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्न धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्–

10. (1) "नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी यथास्थिति, नगर या उसके किसी भाग की क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा।"

धारा 211 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 211 की उपधारा (1) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिया जायेगा।

धारा 213 का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा–213 में

(क) उपधारा (1) में शब्द "कार्यकारिणी समिति अथवा एतदर्थ नियुक्त की गई उसकी कोई उप–समिति" के स्थान पर "नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी" रख दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (1) के परन्तुक में शब्द "कार्यकारिणी समिति या उप–समिति" के स्थान पर "नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी" रख दिया जायेगा।

धारा 214 का प्रतिस्थापन

13. मूल अधिनियम की धारा 214 के स्थान पर निम्न धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्–

"214. **संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता–**

(1) जब किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा उसमें कोई विस्तार उसके स्वामी या अध्यासी द्वारा किया जायें और आच्छादित क्षेत्रफल 25 प्रतिशत से अधिक हो जाये, तो वह समापन के दिनांक के अथवा अध्यासन के दिनांक से जो भी पहले हो, साठ दिन के भीतर नगर आयुक्त को उसकी सूचना विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से देगा।

(2) ऐसे स्वामी या अध्यासी, जो बिना उचित कारण के उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत नहीं करते है, ऐसे जुर्माने से, जो निर्धारित सामान्य कर के दोगुना के बराबर की धनराशि या 500 रू0 प्रतिदिन जो भी कम हो, तक हो सकता है, दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

(3) नगर आयुक्त उपधारा (2) के अधीन प्रस्तावित शास्ति का प्रशमन कर सकेगा।"

धारा 221 (ख) का संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 221 (ख) की उपधारा (2) में शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" रख दिया जायेगा।

धारा 222 का संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा 222 की उपधारा (2) में अंक "500" के स्थान पर अंक "5000" रख दिया जायेगा।

धारा 550 का संशोधन

16. मूल अधिनियम की धारा 550 में

(क) खण्ड (क) में शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" रख दिया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) में शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "दो सौ" रख दिया जायेगा।

(ग) खण्ड (ख) में शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "दो सौ" रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,

आर0सी0 खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में लागू अनावासिक भवनों पर स्वकर निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है।

2– प्रस्तावित संशोधन के होने से उत्तराखण्ड राज्य की स्थानीय नगरीय निकायों में अनावासिक भवनों पर स्वकर निर्धारण करने के पश्चात् आय में बढ़ोतरी होगी, सम्पत्ति स्वामी अपना अनावासिक भवन कर स्वयं आंकलित कर सकेंगे व कर अदा करने के लिये प्रेरित होगें तथा कर निर्धारण पारदर्शी एवं तर्कसंगत होगा। विगत् वर्षों में सर्किल रेट में असमान्य वृद्धि होने के कारण सर्किल रेट के आधार पर आंकलित अनावासिक भवन कर अत्यधिक हो रहा था, उक्त धाराओं में संशोधन करने के उपरान्त सम्पत्ति स्वामी अपना अनावासिक भवन कर स्वयं आंकलित कर सकेंगे। जिससे जन सामान्य का असंतोष कम होगा एवं स्थानीय नागर निकायों की आय में वृद्धि होगी।

3– उक्त विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

प्रीतम सिंह पंवार
मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 विधायी/410–2016–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।